न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्टट्रेक),नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारीः— जगदीश प्रसाद गौड (आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 143/1999 प्रा.पत्र सं. 143/1999
बी.टी.नं. 80/2017 बी.टी.नं. 80/2017

किशनलाल बनाम राजेन्द्र आदि

प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 9.3.2018 को प्रतिवादिया नं. 2/2 रेवती देवी पत्नी श्यामसुन्दर पुत्र सुरजभान का स्वर्गवास होने पर कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी/ प्रतिवादी द्वारा दिनांक 9.3.2018 को पेश किया गया जिसका का निर्णय आज किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में भी सम्मिलित की जावे।

उपस्थितिः— श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट— प्रार्थी /वादी
श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ एडवोकेट— अप्रार्थी /प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः— 11.6.2018

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादी नं. 2/2 रेवती देवी पत्नी श्यामसुन्दर पुत्र सुरजभान का स्वर्गवास की जानकारी तामील रजिस्ट्री मृत्यु अंकन के साथ वापिस प्राप्त होने पर दिनांक 7.3.2017 को हुई है। प्रतिवादीया की मृत्यु कब हुई है जानकारी नहीं है। क्योंकि वह यू.पी. में रहती थी। प्रतिवादिया के वारिसान विजय कुमार व दिनेश कुमार पहले से ही दर्ज है। कायम मुकामान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, रेवती देवी का नाम हजफ फरमाया जावे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। रेवती देवी की मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो चुकी है। कायममुकामान का प्रार्थना पत्र मियाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीया की मृत्यु की जानकारी वादी को नहीं है स्वयं स्वीकार कर रहा है। जबकि प्रतिवादिया रेवती देवी वादी किशन लाल की भाभी लगती है। मृत व्यक्ति के खिलाफ कानूनन वाद नही चल सकता । दावा अबैट हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र कायममुकामान खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान विज्ञ अधिवक्ता प्रार्थी/वादी का तर्क है कि मेरे द्वारा दिनांक 17.3.2017 को जानकारी होते ही कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश कर नकल वकील प्रतिवादी को दे दी गयी थी। मेरा प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

दूसरी ओर विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि कायम मुकामी का प्रार्थना पत्र दिनांक 9.3.2018 को पेश किया गया है। यदि रजिस्ट्री से दिनांक 17.2.2017 को जानकारी हो गई थी तब भी एक वर्ष बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो मियाद बाहर पेश किया गया है। मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मृत व्यक्ति के खिलाफ वाद नहीं चल सकता। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। कानूनन दावा अबैट हो चुका है।

उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादिया रेवती की मृत्यु की जानकारी रजिस्ट्री तामील पर मृत्यु होना लिखा आने पर दिनांक 17.3.2017 को हुई है। यदि यह मान भी लिया जावे कि वादी को प्रतिवादिया की मृत्यु की जानकारी 17.3.2017 को हो चुकी है, तो वादी कानूनन 90 दिवस के अन्दर अन्दर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान प्रस्तुत करना चाहिए था। वादीगण द्वारा दिनांक 9.3.2018 को प्रार्थना पत्र कायममुकामान पेश किया गया है। अर्थात एक वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र कायममुकामान में देरीना होने का कारण भी अंकित नहीं किया । इस प्रकार प्रार्थना पत्र कायममुकामान अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र कायम मुकामान के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह बखूबी जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा समयावधि में मृतक के कायम मुकाम पेश नहीं किये गये है । मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है । मृतक व्यक्ति किसी की खातेदारी में कोई दखलन्दाजी नहीं कर सकता। पत्रावली के अवलोकन से यह साफ जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी की तामील हेतु न्यायालय हाजा का कीमती समय जाया किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, तथा दोराने सुनवाई विद्ववान अधिवक्तागण द्वारा किये गये तर्क–वितर्कों को ध्यान में रखते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकामान अन्दर मियाद नहीं होने से खारिज किया जाता है । दावा वादीगण अबैट हो चुका है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक)
नीमकाथाना

सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

निर्णय आज दिनांक 11.6.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) नीमकाथाना

Scanned by CamScanner